

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्या:-63/2019/223 (2019/00063)

1. पोलू दत्तक पुत्र स्व0 रामनाथ, जाति खारोल, निवासी सूरजपुरा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भैरू पुत्र घीसा,
 2. जगदीश पुत्र मोती,
 3. महावीर पुत्र मोती,
 4. गोपाल पुत्र मोती,
 5. सांवरा दत्तक पुत्र मेघा,
 6. रतनी पुत्री नंदा,
 7. हगामी पुत्री नंदा,
- समस्त जाति खारोल, निवासी सूरजपुरा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 4.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 145/2014 .

उपस्थित:-

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पोंड संख्या 1 लगायत 7.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 8.

(2) अपील संख्या:-66/2019/223 (2019/00066)

1. पोलू दत्तक पुत्र स्व0 रामनाथ, जाति खारोल, निवासी सूरजपुरा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भैरू पुत्र घीसा,
2. जगदीश पुत्र मोती,
3. महावीर पुत्र मोती,
4. गोपाल पुत्र मोती,
5. सांवरा दत्तक पुत्र मेघा,
6. रतनी पुत्री नंदा,
7. हगामी पुत्री नंदा,



(Signature)
राजस्थान राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

- समस्त जाति खारोल, निवासी सूरजपुरा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 4.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 65/2014 .

उपस्थित:—

4. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
5. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7.
6. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8.

निर्णय

दिनांक:— 5.10.2024



1. यह दोनों अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पृथक-पृथक प्रस्तुत हुई है।
2. दोनों अपीलों में पक्षकारान, विवादित भूमि समान होने से तथा एक ही निर्णय के विरुद्ध होने से दोनों अपीलों में एक साथ बहस समाहत की जाकर दोनों प्रकरणों में एक साथ निर्णय किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संधारित की जावे ।
3. अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 के विरुद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188, 92— एवं 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात गत खसरा नंबर 88 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 103 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा वाके ग्राम सूरजपुरा, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में अवस्थित है । राजस्व अभिलेख अनुसार विवादित आराजियात अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 की सहखातेदारी की आराजियात है । उपरोक्त आराजियात सांवरा पुत्र मेघा, भैरू पुत्र घीसा, मोती पुत्र रुघा, रोड़ी बेवा घीसा, भैरू, सांवरा पि0 घीसा 2/3 हिस्सा, नंदा पुत्र गिरधारी 1/9 हिस्सा, हगामी पुत्री नंदा 2/9 हिस्सा दर्ज है जिसमें मोती के स्थान पर वारिसान पोलू तथा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 का नाम दर्ज है । इसी प्रकार खसरा संख्या 27 रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा, 28 रकबा 3 बिस्वा, 41 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 48 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 107 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा जमाबंदी अनुसार सावरा पुत्र मेघा, भैरू पुत्र घीसा, पोलू, जगदीश, महावीर, गोपाल पि0 मोती, भैरू व सावरा पि0 घीसा व नंदा पुत्र गिरधारी के खाते में दर्ज है। नंदा फौत हो जाने से हमाम व रतनी पुत्रियां नंदा का नाम दर्ज किया गया है । जबकि अपीलांट/वादी जाति रिवाज व धर्म अनुसार रामनाथ के गोद आ गया था एवं रामनाथ की सम्पति पर ही बतौर काबिज चला आ रहा है । उक्त अनुसार वादी खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से में आई भूमि का विभाजन करवाकर हिस्सा अलग करवाना चाहता है । अतः विभाजन की आज्ञाप्ति प्रदान की जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबंद किया जावे । उक्त वाद प्रस्तुत होने के उपरांत एक

(Handwritten signature)
राजस्थान हाईकोर्ट
अजमेर

अन्य वाद रेसपो0 संख्या 1 लगायत 7/प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त आराजियात व खसरा संख्या 80 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम प्रतापपुरा को सम्मिलित करते हुए पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात अविभाजित है जिसका विधिवत् बंटवारा किया जाना आवश्यक है । इसलिये वादवर्णित आराजियात का विभाजन किया जाकर जमाबंदी जारी किए जाने की आज्ञाप्ति पारित करे एवं स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति प्रदान की जावे । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त वादों को समेकित करते हुए रेसपो0/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में जवाबदावा निहित होना वर्णित करते हुए चार तनकियात कायम की तथा प्रकरण को वास्ते साक्ष्य हेतु नियत किया गया । पत्रावली में पक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना लोक अदालत शिविर रामपाली में प्रकरण को नियत कर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर रेसपो0/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2016 को पारित की । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट/वादी ने यह उसे पृथक-पृथक अपीलें इस न्यायालय में पेश की है ।

4. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के उपरांत रेसपो0/प्रतिवादी द्वारा द्वारा वादपत्र विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया । उक्त वाद पत्र को अपीलांट/वादी के वादपत्र के साथ समेकित किया जाकर अधी0न्याया0 द्वारा उपरोक्त पश्चात्वर्ती वाद में दावे का जवाब निहित होना वर्णित करते हुए तनकियात कायम की एवं इसके पश्चात् पत्रावली वास्ते शहादत हेतु नियत की गई जिसमें बिना पक्षकारान की शहादत के पत्रावली को राजस्व अभियान लोक अदालत में रखकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2016 को पारित कर अपीलांट/वादी का वाद निरस्त कर दिया तथा रेसपो0 का वाद डिक्री कर दिया जो प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया इसके बावजूद वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को जवाबदावा मानकर तनकियात कायम की है जो विधिविरुद्ध है। तनकी संख्या 1 वादी/अपीलांट पोलू रामनाथ अविवाहित होने से गोद जाने व रामनाथ की सम्पति पर बतौर वारिस काबिज काश्त होने तथा उसी अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन हेतु अधिकारिता रखता है, कायम की गई थी । अधी0न्याया0 द्वारा उक्त पत्रावली को साक्ष्य हेतु लंबित रखा गया है किन्तु पक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना उक्त बाबत् तनकी संख्या 1 का निर्णय गोद लेने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । रामनाथ की विरासत का नामांतरण दिनांक 31.8.1998 को स्वीकृत होना तथा उसके मोती पि0 रूघा व रोड़ी बेवा घीसा, व भैरू, सांवरा, पि0 घीसा का अंकन किया है, वर्णित करते हुए तथा उक्त नामांतरण के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, वर्णित कर वादी/अपीलांट को मोती की विरासत से प्राप्त सम्पति में हक प्राप्त कर सकता है, मानते हुए उक्त तनकी का निर्णय वादी/अपीलांट के विरुद्ध किया है जबकि स्पष्टतया वादी/अपीलांट द्वारा वादपत्र में स्वयं को रामनाथ के गोद जाना वर्णित किया है तथा सावरा पुत्र घीसा जो मेघा के गोद गया तथा मेघा पुत्र घीसा की सम्पति उसके नाम अंकन की हुई है । इसी प्रकार जगदीश, हरदेव पुत्र गिरधारी के गोद गया हुआ है जिस बाबत् जगदीश द्वारा



अधीनस्थ अपील प्राधिकारी
अजमेर

दत्तक पुत्र की हैसियत से हरदेव की सम्पति में अपना हिस्सा वर्णित करते हुए पृथक से राजस्व वाद प्रस्तुत किया हुआ है। अधी०न्याया० के समक्ष पत्रावली साक्ष्य में विचाराधीन होने के उपरांत भी प्रकरण को लोक अदालत में रखकर निर्णित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अधी०न्याया० द्वारा तनकी संख्या 2 आया वादी/अपीलांट प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का हक रखता है कायम की गई थी। अधी०न्याया० ने तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलांट के पक्ष में किया है किन्तु अभिवचनों के बाहर जाते हुए मोती से प्राप्त हक हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी माना है जबकि मोती पुत्र रुघा की खातेदारी की आराजियात में अपीलांट के नाम का अंकन गलत हुआ है। वादी/अपीलांट रामनाथ का दत्तक पुत्र होने से उसकी सम्पति पर काबिज काश्त है। तनकी संख्या 3 व 4 रेस्पो०/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर बिना उक्त वाद में जवाबदावा पेश हुए निर्मित की गई है। समान आराजियात एवं समान पक्षकारान के मध्य जहां भिन्न-भिन्न राजस्व वाद विचाराधीन हो वहां न्यायालय को उपरोक्त राजस्व वादों को समेकित कर उपरोक्त वादों में जवाबदावा लिया जाकर पृथक-पृथक तनकिया कायम कर पक्षकारान की शहादत ली जाकर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित था। अधी०न्याया० ने वादपत्रों को समेकित कर बिना सुनवाई साक्ष्य का अवसर प्रदान किये निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि विरुद्ध होकर निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधी०न्याया० को पक्षकारान की शहादत ली जाकर विधिवत् सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधी० पेश कर कथन किया कि अधी०न्याया० ने आक्षेपित निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा प्रकरण को राजस्व अभियान के दौरान लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित किया है। निर्णय की जानकारी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को नहीं दी गई। तत्पश्चात् अधी०न्याया० द्वारा कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 24.11.2017 को वाद में अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। हाल ही में दिनांक 18.2.2019 को प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजियात जो कि रामनाथ के हिस्से की आराजियात रही है पर जबरन दखलदांजी करने पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का से संपर्क किया तो पटवारी हल्का ने अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय के संबंध में अवगत कराया जिस पर प्रार्थी ने अधी०न्याया० के निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर०आर०टी० 2018-19 सप्लीमेंट्री पेज 394 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया।

7. विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 से 7 ने बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है। अधी०न्याया० के समक्ष रेस्पो०/वादीगण द्वारा भी वादी पोलू के विरुद्ध वाद पेश किया जिसमें स्पष्ट कथन किया था कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 पोलू के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा वादीगण और प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर मौखिक बंटवारा कर इसी अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त है लेकिन राजस्व जमाबंदी में उक्त वर्णित आराजियात का विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 पोलू की नियत बद हो गई वह नाजायज अनाधिकृत तरीके से कानून व नियम के विरुद्ध वादीगण के हिस्से में कब्जा करना चाहता है। वादी पोलू ने अधी०न्याया० के समक्ष रामनाथ का दत्तक पुत्र होने के



DR. 1
ज्यायालय प्राधिकारी
अजमेर

संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये इसी कारण अधी०न्याया० ने दत्तक पुत्र घोषित होने तक उसका वाद स्वीकार किया है जो विधिसम्मत निर्णय है । दत्तक पुत्र घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । वादी पोलू रामनाथ का दत्तक पुत्र नहीं होने से वह अपने पिता मोती की विरासत ही प्राप्त करने का अधिकारी है। अधी०न्याया० ने विधिसम्मत रूप से प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण उपरांत निर्णय व डिक्री पारित कर वादी पोलू का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पों ने अपने कथनों के समर्थन में आर०बी०जे० 2010 पेज 289, आर०आर०डी० 2002 पेज 26 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

8. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० का निस्तारण करना उचित समझते हैं । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं। हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते हैं। अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/अपीलांट पोलू ने अधी०न्याया० के समक्ष वाद स्वयं को रामनाथ का गोद पुत्र की हैसियत से पेश किया था । अधी०न्याया० ने वादी पोलू के रामनाथ के गोद जाने के संबंध में तनकी संख्या 1 कायम की है । तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने हेतु वादी ने अधी०न्याया० के समक्ष गोदनाम पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि रामनाथ ने वादी पोलू को गोद लिया हो । अधी०न्याया० ने तनकी संख्या 1 के निर्णय में दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णित किया है कि वादी पोलू के मूल पिता मोती की मृत्यु उपरांत मोती की आराजियात ग्राम सूरजपुरा बाबत् विरासत का नामांतरण संख्या 104 दिनांक 19.12.2012 एवं नामांतरण संख्या 106 दिनांक 14.1.2013 तथा ग्राम प्रतापपुरा की आराजियात बाबत् नामांतरण संख्या 325 दिनांक 6.12.2012 को स्वीकृत किये गये हैं । इन सभी नामांतरणों में पोलू को मोती का वारिस के रूप में अंकित किया गया है। रामनाथ की विरासत का नामांतरण संख्या 28 दिनांक 31.8.1998 को खोला गया था उसमें रामनाथ को नाऔलाद बताकर उसके वारिस मोती पि० रूघा व मु० रोड़ी बेवा घीसा व भेरू, सांवरा पिता घीसा का अंकन किया गया है । रामनाथ का विरासत नामांतरण तस्दीक करते समय भी वादी/अपीलांट ने कोई उज्र पेश नहीं किया है । वादी/अपीलांट ने स्वयं को मृतक रामनाथ का दत्तक पुत्र होना बताया है किन्तु दत्तक पुत्र साबित करने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं । वैसे भी दत्तक पुत्र की घोषणा करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। वादी/अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद को साबित करने में असफल रहने से अधी०न्याया० ने वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । जहां तक वादी/रेस्पों भेरू वगैरह द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रश्न है वादी भेरू वगैरह राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर विधिक बंटवारा कराने के अधिकारी है । अधी०न्याया० ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर वादी भेरू व अन्य का वाद संख्या 65/2015 स्वीकार किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त



Dr. -
राजस्व अंतिम प्राधिकारी
अजमेर

विवेचनानुसार दोनों अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधीन्यायाद्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः दोनों अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा वाद संख्या 145/2014 एवं 65/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2016 यथावत् रखे जाते हैं । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय की प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में पृथक-पृथक संधारित की जावे ।

(मेघना चौधरी)

राजस्थान अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 5.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)

राजस्थान अपील प्राधिकारी,
अजमेर

